न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – लतिका दीपक पाराशर
आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)

निगरानी फौजदारी प्रकरण सं.	–	71/2020
CIS Number	–	71/2020
CNR Number	–	RJHG010015552020

1. ओम विष्णु पुत्र श्री वेदप्रकाश, निवासी चक 4 आरआरडब्ल्यू, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बलदेव पुत्र श्री वेदप्रकाश, निवासी चक 4 आरआरडब्ल्यू, रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. जोगेन्द्र कौर पत्नी श्री निहाल सिंह, निवासी मलकीत सिंह कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. इकबाल सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह, निवासी सेक्टर नंबर 6 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मैसर्स रतिका ग्रामोद्योग चक 4 आरआरडब्ल्यू रोड़ावाली, जरिए कुमारी रतिका पुत्री प्रमोद।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिए अपर लोक अभियोजक, हनुमानगढ़ (राज0)।

–गैर निगरानीकर्तागण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व वाद सं० 15/2018 ओम विष्णु बनाम मैसर्स रतिका ग्रामोद्योग अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. में पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी

उपस्थिति:–
1. श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता– निगरानीकर्तागण की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक– गैर निगरानीकर्ता राज्य की ओर से।
3. श्री हेम सिंह, अधिवक्ता– गैर निगरानीकर्ता सं० 2 की ओर से।

आदेश **दिनांक : 01.07.2026**

1. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व वाद सं० 15/2018 ओम विष्णु बनाम मैसर्स रतिका ग्रामोद्योग में पारित आदेश दिनांक 23.12.2019, जिसके द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. खारिज कर दिया गया, से व्यथित होकर यह निगरानी निगरानीकर्तागण ओम विष्णु आदि की ओर से माननीय सेशन न्यायाधीश,

हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहां से यह निगरानी विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका के साथ **धारा 5 मियाद अधिनियम** का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.2019 का है, जिसके संबंध में आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 10.02.2020 को प्राप्त हुई थी, जिसके पुनरीक्षण का आवेदन दिनांक 23.03.2020 को प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु इस बीच कोविड–19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लग जाने के कारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित हो जाने से विहित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका, फिर न्यायालय के आदेश से न्यायिक प्रक्रिया का कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण, इस बीच दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 12.06.2020 तक की अवधि में लॉकडाउन के कारण व दिनांक 13.06.2020 व दिनांक 14.06.2020 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण, पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2020 को प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में उक्त अवधि को अपवर्जित किए जाने का निवेदन किया।

3. जिसके विरोध में गैर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आधार गलत होना बताकर प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना बताया। न्यायालय के विनम्र मत में, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 12.06.2020 तक विहित समयावधि में आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.2019 की पुनरीक्षण याचिका निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। **माननीय उच्चतम न्यायालय** के द्वारा भी सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2021(4) CCC 518 (S.C.) : In Re: Cognizance for Extension of Limitation** में परिसीमा अवधि के संबंध में विस्तृत विवेचन करते हुए कोविड–19 के दौरान जो प्रकरण प्रस्तुत नहीं हो पाये थे, उनमें परिसीमा अवधि को अपवर्जित करने का निर्णय पारित किया गया है, जिससे भी निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका उक्त अवधि का अपवर्जन होने के कारण निगरानी याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना उचित प्रकट आता है। अतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर निगरानी याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

4. निगरानी वर्णित प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्तागण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वे चक 4 आरआरडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के काश्तकार हैं तथा अप्रार्थी ने इस चक के पत्थर नंबर 126/240(27) के किला नंबर 25 में मृत पशुओं की हड्डियों को पीसने की फैक्ट्री स्थापित की हुई है तथा इस फैक्ट्री के नजदीक आबादी क्षेत्र एवं अन्य कई

शैक्षणिक संस्थान हैं। इस फैक्ट्री में मृत पशुओं की हड्डियों के पीसने से दुर्गंधयुक्त वातावरण फैलता है, जिससे आमजन को भारी असुविधा व परेशानी होती है। इस फैक्ट्री के नजदीक सार्दूल ब्रांच नहर है, जिसमें इस फैक्ट्री की हड्डियां जानवर व कुत्ते लाकर डालते हैं, जिससे नहर का पानी प्रदूषित होता है। इस फैक्ट्री के लिये प्रभावित व्यक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों तथा जलदाय विभाग ने इस फैक्ट्री को बन्द करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये हैं, लेकिन अप्रार्थी अत्यधिक प्रभावशाली होने से उसके विरूद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। इस फैक्ट्री के कारण उत्पन्न दुर्गन्धपूर्ण वातावरण से सार्वजनिक उपताप कारित होने के कारण इस फैक्ट्री को बन्द किये जाने का निवेदन किया गया तथा मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के साथ प्रार्थीगण ने जांच के दौरान अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 142 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया था और जिसके संबंध में मौखिक व लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा अप्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के संबंध में लिखित बहस प्रस्तुत की। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 142 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई उपरान्त पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 23–12–2019 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता भी खारिज कर दिया आदि, जिससे व्यथित होकर उनके द्वारा यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. प्रस्तुत निगरानी याचिका के संक्षिप्त आधार इस प्रकार से हैं कि विचारण न्यायालय ने धारा 142 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई उपरान्त प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज करने में विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत फैक्टर से उपताप कारित नहीं होने के अभिकथन किये थे। इस प्रकार उपताप के अस्तित्व में होने के तथ्य से इनकार करने पर धारा 137 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच की जाना आज्ञापक था तथा ऐसे उपताप के संबंध में धारा 138 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना व बिना किसी जांच व साक्ष्य का अवसर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया खारिज कर दिया। वस्तुतः सन 2007 के बाद अप्रार्थी द्वारा इस यूनिट में हड्डियां पीसने का व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद दूषित वातावरण की स्थिति पैदा होने से सार्वजनिक उपताप हुआ है। विचारण न्यायायल ने पुनरीक्षणाधीन आदेश के अन्तर्गत इस क्षेत्र में मृत पशुओं की हड्डियों से वातावरण दूषित होने की स्थिति को माना है, लेकिन यह वातावरण दूषित होने का कारण नगरपरिषद् हनुमानगढ़ की हड्डारोड़ी से उत्पन्न होना मानकर प्रश्नगत फैक्ट्री से उपताप पैदा न होने का मनमाना व अनुचित निष्कर्ष पारित किया है।

नगरपरिषद् हनुमानगढ़ की हड्डारोड़ी चक 2 एनडब्ल्यूएन में गांव नवां के नजदीक स्थित है, जिससे भी यह साक्ष्यपरक तथ्य था कि यह दुर्गन्धयुक्त वातावरण प्रश्नगत फैक्ट्री के कारण उत्पन्न हो रहा है या नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा स्थापित हड्डारोड़ी से। प्रश्नगत फैक्ट्री हनुमानगढ़ जंक्शन–अबोहर रोड से पश्चिम में व उक्त शैक्षणिक संस्थानों व जलदाय विभाग के वाटरवर्क्स व डिग्गी तथा पुलिस लाईन से पश्चिम दिशा में स्थित है तथा पश्चिमी हवा चलने से इसी फैक्ट्री से बदबू फैलती है। विचारण न्यायालय के आदेशानुसार इस फैक्ट्री का भौतिक निरीक्षण डॉ० सुरेश चौधरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ ने किया तथा अपनी रिपोर्ट में इस फैक्ट्री परिसर में मृत जानवरों के मांस कीड़े, मक्खियां होना व इनसे बीमारी फैलने की आशंका बताई है तथा ऐसी यूनिट को रिहायशी इलाका से कम से कम 1 किलोमीटर दूर स्थापित किये जाने की अभिशंषा की व इस फैक्ट्री से मुख्य सड़क तक बदबू आने का तथ्य बताया व इसके अलावा डॉ० राकेश जिन्दल की रिपोर्ट दिनांक 23–08–2018 व पश्चातवर्ती रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से भी इस फैक्ट्री में हड्डियों के साथ Skin व Tissues भी Attached होने व फैक्ट्री में तथा आस–पास का क्षेत्र दुर्गन्धयुक्त पाया गया है व Uncommon air born zoonatic disease (Infection) की सम्भावना प्रकट की है। विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग खण्ड हनुमानगढ़, नगरपरिषद् हनुमानगढ़, सीमा सड़क कृतिका बल (ग्रेफ), लिटिल फ्लॉवर कॉनवेंट स्कूल, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रोड़ावाली, ग्राम पंचायत रोड़ावाली व पुलिस लाईन के संचित निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदनों को अनदेखा किया है। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत उपताप एक फैक्ट्री से संबंधित होना मानकर फैक्ट्री एक्ट के तहत कार्यवाही अपेक्षित होना मानकर धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपचार उपलब्ध नहीं होने की अवधारणा कतई गलत, अनुचित एवं विधि विरूद्ध रूप से पारित की है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टान्तों को अनदेखा किया है तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की परिधि में था, जिसे सरसरी तौर पर खारिज करने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। अंत में निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 23.12.2019 को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. बहस निगरानी उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीदार द्वारा निगरानी में उल्लेखित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रमुख रूप से यही तर्क लिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 142 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के पश्चात सीधे ही मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. का निस्तारण कर दिया, जबकि धारा 133 दं.प्र.सं. के

प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व धारा 137–138 दं.प्र.सं. के तहत जांच किया जाना आवश्यक था, जिन आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत वर्जित भी नहीं थी। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकों की रिपोर्ट से मौके पर फैक्ट्री से दुर्गंध, शैक्षणिक संस्थानों व जलदाय विभाग के वाटरवर्क्स डिग्गी तथा पुलिस लाइन के पश्चिम में फैलने की रिपोर्ट दी थी तथा पुलिस लाइन के संचित निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार भी दुर्गंध फैलने के तथ्य थे, फिर भी विचारण न्यायालय के द्वारा किसी भी तथ्य पर ध्यान न देकर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया तथा उक्त तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गएः–

1. 2016(2) Criminal Court Cases 372 (Kerala) : Abraham Thomas Vs State of Kerala.
2. 2016(3) Criminal Court Cases 625 (Kerala) : Narayana Menon Vs Sundaribhai.
3. RLW 1994 (2) 308 : Lakshmi Cement Vs State etc.
4. AIR 2003 SC 3236 : State of M.P. Vs Kedia Leather & Liquor Ltd.
5. Suhelkhan Khudyarkhan & Anr Vs State of Maharashtra & Ors. : AIR 2009 SC 1868.
6. 2002(2) Criminal Court Cases 689 (P&H) : Ram Lal Vs State of Haryana.
7. 2004(4) Criminal Court Cases 172 (P&H) : Ram Lal Vs State of Punjab & Ors.

7. जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीदार सं0 2 द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए मौके पर फैक्ट्री 35 वर्षों से चालू होना और आसपास टिब्बे होना बताया तथा मामला भी फैक्ट्री एक्ट से संबंधित होना बताया। सार्वजनिक उपताप का मौके पर कोई मामला नहीं होना बताया। मौके पर फैक्ट्री के आसपास प्रदूषण नहीं होने का आधार लेकर विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतया सही एवं विधिसम्मत होना बताया और निगरानी याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया तथा उक्त तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गएः–

1. 2018(2) R.J.R. (Raj.) 526 : Mohd. Gulzar Vs State of Rajasthan.
2. (1995) Sup4 SCC 54 : Vasant Manga Nikumba Vs Baburao Bhikanna Naidu.
3. 1975 CRI. L. J. 1717 : T. K. S. M. Kalyanasundaram Vs Ammal.
4. (2003) 3 AICLR 583 : Makhan lal, Suresh Kumar etc Vs Buta singh.
5. 1999(3) WLC 694 : G.B. Jain and Sons Vs State of Raj. and Anr.
6. (1993) 1 Crimes 907 : Chand Vs State.

8. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली और संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि –

"दिनांक 23.12.2019 को विचारण न्यायालय के द्वारा जारी किया गया आक्षेपित आदेश शुद्धता, वैधता व नियमितता की कसौटी पर धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुरूप खरा है अथवा नहीं?"

10. धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान तथा **माननीय उच्चतम न्यायालय** के न्यायिक दृष्टांत **Amit Kapoor Vs Ramesh Chander (2012) 9 SCC 460** में प्रतिपादित अभिमत के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय को निगरानी के संबंध में मात्र **question of law** पर ही विचार कर आक्षेपित आदेश के बारे में निर्णय देना होता है।

11. उक्त अवधार्य बिन्दु तथा उक्त प्रावधान व अभिमत के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से प्रकट हो रहा है कि निगरानीकर्ता के द्वारा बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि चक 4 आरआरडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के चक के प.नं. 126/240 (27) के किला नंबर 25 में अप्रार्थी मैसर्स रतिका ग्रामोद्योग के द्वारा पशुओं की हड्डियों को पीसने की फैक्ट्री स्थापित की हुई है, जिसमें मृत पशुओं की हड्डियां काटकर उनकी पीसाई की जाती है, जिससे आसपास स्थित स्कूल, कॉलेज व आबादी में अत्यंत बदबूदार दुर्गंध बनी रहती है तथा जिसके नजदीक स्थित सार्दुल ब्रांच में कुत्ते हड्डियां नहर में डाल देते हैं,

जिससे पानी दूषित हो रहा है तथा जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है, जिसको बंद करवाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र स्थानीय नागरिकों और प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा दिये जा चुके हैं, फिर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। मौके पर गंभीर सार्वजनिक उपताप कारित हो रहा है, इसलिए फैक्ट्री को तुरंत प्रभाव से बंद करवाकर हटाये जाने का निवेदन किया।

12. जिसके विरोध में अप्रार्थी के प्रतिनिधि के उपस्थित होने पर तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ और थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ व पशु चिकित्सक की संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सीएमएचओ हनुमानगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई तथा अप्रार्थी का जवाब तलब किया गया, जिस पर यह तथ्य प्रकट हुआ था कि प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्तियों में से इकबाल सिंह के द्वारा ही यह हड्डी क्रशिंग उद्योग राजस्थान वित्त निगम से दिनांक 14.05.2003 को खरीद किया था। बाद में दिनांक 14.05.2003 को इसे बेच दिया गया। फैक्ट्री को संचालित होते हुए करीब 24 साल हो चुके हैं, इतने वर्षों में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। इकबाल सिंह से फैक्ट्री सुशीला ने दिनांक 02.08.2007 को खरीद की थी और सुशीला ने यह फैक्ट्री दिनांक 27.12.2007 को मैसर्स रतिका ग्रामोद्योग को बेच दी। वर्तमान में मैसर्स ए.पी. ग्रामोद्योग विभाग से पंजीकृत होकर इस हड्डा फैक्ट्री की संचालक है। मौके पर संगरिया बाईपास रोड पर नगरपरिषद द्वारा आवंटित भूमि पर हड्डारोड़ी होने के कारण नागरिकों के लिए परेशानी बनी हुई है, जिससे लोगों का जीवन दूभर हुआ है, ना कि फैक्ट्री से...आदि आदि।

उक्त दोनों पक्षों की बहस पर मनन करने के पश्चात व प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनों का अवलोकन करने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा सभी रिपोर्ट नगरपरिषद हनुमानगढ़ की हड्डारोड़ी से संबंधित पाई, जहां कोई चारदीवारी नहीं है और फैक्ट्री का चारों तरफ से बंद होना पाया और धारा 133 दं.प्र.सं. के तहत अपराधिक मामला दर्ज करने का प्रकरण ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना पाया और अप्रार्थी के तर्कों को मानकर मौके पर आ रही दुर्गंध फैक्ट्री की ना होकर नवां बाईपास पर स्थित हड्डारोडी से संबंधित होना पाकर आक्षेपित आदेश पारित कर दिया।

13. विचारण न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में आक्षेपित निर्णय धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिए जाने का उल्लेख शीर्षक में किया गया है। निगरानीकर्ता ने निगरानी में एक आधार यह भी लिया है कि धारा 142 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जानी थी, परन्तु विचारण न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र

पर सुनवाई नहीं कर सीधे ही धारा 133 दं.प्र.सं. के मूल प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण कर उसे खारिज कर दिया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 03.04.2019 को प्रार्थना पत्र धारा 142 दं.प्र.सं. पर सुना गया। उससे पूर्व पत्रावली में धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट आदि मंगवाकर जवाब और बहस प्रार्थना पत्र में पत्रावली नियत की हुई थी। आदेशिका से कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विचारण न्यायालय के द्वारा वस्तुतः धारा 142 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जा रही थी या धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र की सुनवाई? दिनांक 03.04.2019 के अंत में आदेशिका में यह उल्लेख है कि पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 142 दं.प्र.सं. में पेश हो और उसके पश्चात मौखिक बहस, साईटेशन, पॉल्यूशन रिपोर्ट आदि पेश करवाये जाने के बाद न्यायालय के द्वारा अन्ततः दिनांक 23.12.2019 को धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र को ही खारिज कर दिया गया, जबकि इससे पूर्व अंतिम आदेश, जो आदेश सुनाये जाने में रखा गया था, वह धारा 142 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र का आदेश सुनाये जाने में लंबित था। दिनांक 03.04.2019 से दिनांक 23.12.2019 के बीच में किसी भी दिवस पर विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी का जवाब पेश होने के बाद कोई जांच की गई हो या उस प्रार्थना पत्र पर पृथक से सुनवाई की गई हो, ऐसा कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिससे दिया गया आदेश जो वस्तुतः धारा 142 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर दिया जाना था, वह धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर ही देकर प्रकरण का बिना किसी जांच के निस्तारण कर दिया गया है। निगरानी न्यायालय के विनम्र मत में, इस प्रकार आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों की पालना करके दिया जाना प्रकट नहीं आता है।

14. विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीदार की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2018(2) R.J.R. (Raj.) 526 : Mohd. Gulzar Vs State of Rajasthan** में चमड़ा व्यवसाय के संबंध में याची के पास अनुज्ञा पत्र होने के बावजूद भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा बिना प्राथमिक जांच किए आदेश पारित कर दिया, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा सही नहीं माना गया था।

15. वहीं न्यायिक दृष्टांत **(1995) Sup4 SCC 54 : Vasant Manga Nikumba Vs Baburao Bhikanna Naidu** के मामले में **माननीय उच्चतम न्यायालय** के द्वारा मौके पर दुकानों का अत्यंत जर्जर अवस्था में होने के कारण उन्हें हटाये जाने के संबंध में और उन्हें नष्ट किए जाने के संबंध में दिए गए आदेश को धारा 133 दं.प्र.सं. के तहत उचित नहीं पाया था। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **1975 CRI. L. J. 1717 : T. K. S. M. Kalyanasundaram Vs Ammal** के मामले में **माननीय मद्रास उच्च न्यायालय** के द्वारा मात्र इमरजेंसी और इमीनेंट डेंजर

के मामले में ही धारा 133 दं.प्र.सं. संबंधी कार्यवाही करने संबंधी अभिमत व्यक्त किया है। न्यायिक दृष्टांत **(2003) 3 AICLR 583 : Makhan lal, Suresh Kumar etc Vs Buta singh** में **माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय** के द्वारा आक्षेपित उपताप का बहुत लंबे समय से मौके पर मौजूद रहने के कारण धारा 133 दं.प्र.सं. के तहत किसी प्रकार की शिकायत को 8 या 9 वर्षों के पश्चात सुनना उचित नहीं पाया था। वहीं न्यायिक दृष्टांत **(1993) 1 Crimes 907 : Chand Vs State** के मामले में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय** के द्वारा कोटन कार्डिंग मशीन एक नीयत समय पर ही चलाने जाने के संबंध में परिवाद किए जाने पर धारा 133(1) दं.प्र.सं. के तहत दिए गए आदेश को सही नहीं माना और ऐसी कोटन डस्ट नहीं उड़ाये जाने के संबंध में कार्यवाही संबंधी आदेश दिए थे। उक्त सभी अभिमतों के प्रति यह न्यायालय पूर्ण आदर व्यक्त करता है। उक्त सभी न्यायिक दृष्टांतों में वर्णित प्रकरणों के तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से पूर्णतया भिन्न हैं, इसलिए उक्त अभिमतों से गैर निगरानीकर्ता सं0 2 को इस मामले में कोई विशेष सहायता मिलना नहीं पाया जाता है। वहीं न्यायिक दृष्टांत **1999(3) WLC 694 : G.B. Jain and Sons Vs State of Raj. and Anr**. के मामले में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय** के द्वारा पैरा सं० 26 के यह मत व्यक्त किया गया है कि–"It is mandatory for the magistrate to hold inquiry contemplated Under Section 137(1) Cr.P.C. and if no such inquiry is held, and the Magistrate straightway proceeds to decide the matter Under Section 138 Cr.P.C. the proceedings are vitiated and the order passed on such proceedings is not sustainable in law. जिसके अनुसरण में, हस्तगत प्रकरण में भी विचारण न्यायालय द्वारा बिना जांच किए आदेश पारित किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

16. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2016(2) Criminal Court Cases 372 (Kerala) : Abraham Thomas Vs State of Kerala** तथा **2016(3) Criminal Court Cases 625 (Kerala) : Narayana Menon Vs Sundaribhai** में **माननीय केरला उच्च न्यायालय** के द्वारा भी मुख्य अभिमत यही प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्यर्थी के उपस्थित आने पर और आपत्ति प्रकट किए जाने पर एसडीएम को धारा 133 दं.प्र.सं. के तहत विधि अनुसार जांच करने के संबंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में धारा 133 दं.प्र.सं. के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही लंबित थी, उसमें अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 20.07.2018 को उपस्थिति दी गई, उसके पश्चात विभिन्न प्राधिकारियों से मौके की रिपोर्ट तलब की गई और उसकी प्रति दिलवाई जाने के पश्चात जब अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2018 को पेश हुआ, उसके

पश्चात पत्रावली सीधे ही बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई, जबकि धारा 133 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर यदि अप्रार्थी पक्ष के द्वारा उपस्थित आकर ऐसे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इनकारी कर प्रश्नगत किया जाता है और लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है तो धारा 137 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट को धारा 138 दं.प्र.सं. के तहत कोई भी कार्यवाही करने से पहले जांच की जानी आज्ञापक है। **धारा 138 दं.प्र.सं. इस प्रकार से है –**

> **138. जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया –** (1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे सम्मन मामले में लिया जाता है।
>
> (2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा।
>
> (3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

17. उक्त प्रावधान के तहत विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व कोई जांच की गई हो, ऐसा कहीं भी प्रकट नहीं हो रहा है, मात्र तहसीलदार हनुमानगढ़ व पशु चिकित्साधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सीएम एण्ड एचओ विभाग से भी वांछित सूचना प्राप्त करने के बाद सीधे ही बहस प्रार्थना पत्र सुनकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया और इस प्रकार दं.प्र.सं. में अध्याय 10 के भाग 'ख' में वर्णित लोक न्यूसेंस से संबंधित धारा 137 व 138 के आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई।

18. विद्वान अधिवक्ता निगरानीदार सं0 2 के द्वारा जो तर्क बहस में लिया गया है कि मामला फैक्ट्री एक्ट से संबंधित है तो इस बारे में उनके द्वारा उक्त अभिवचन या तर्क विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत उक्त कार्यवाही किए जाने के संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा **RLW 1994 (2) 308 : Lakshmi Cement Vs State etc** के मामले में प्रतिपादित अभिमत की रोशनी में उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत मात्र सिविल न्यायालय के तहत संस्थित की जाने वाली कार्यवाही को ही इस अधिनियम में वर्जित किया गया है। दाण्डिक न्यायालय में की

जाने वाली कार्यवाही को वर्जित नहीं किया है, जिससे भी इस कार्यवाही को संस्थित करने की प्रार्थीगण के पास अधिकारिता नहीं हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है।

19. इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये विभिन्न प्रतिवेदनों से मौके पर आने वाली हड्डियों की बदबू व उससे फैलने वाले वायु जनित बीमारियों के कारण जनजीवन प्रभावित होने की रिपोर्ट दी गई थी अर्थात् सार्वजनिक रूप से ऐसी दुर्गंध उपताप कारित कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी न्यायिक दृष्टांत **Suhelkhan Khudyarkhan & Anr Vs State of Maharashtra & Ors. : AIR 2009 SC 1868** में इसी प्रकार की फैक्ट्री में निर्माण संबंधी कार्य को तुरंत प्रभाव से बंद करने की निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

20. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में, विचारण न्यायालय के द्वारा धारा 133 दं.प्र.सं. के उक्त परिवाद का निस्तारण अप्रार्थी की तलबी के पश्चात और अप्रार्थी पक्ष के द्वारा मौके पर ऐसे किसी भी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकारी करने के पश्चात विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट को आधार मानकर ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है, स्वयं के द्वारा इस प्रकरण में कोई भी जांच नहीं की गई है, जबकि ऐसी जांच धारा 137 व 138 दं.प्र.सं. के तहत आवश्यक थी। विशेष तौर पर जब अप्रार्थी पक्ष के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौके पर किसी भी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकारी की गई थी। ऐसे में आक्षेपित आदेश किसी प्रकार से वैधता, शुद्धता एवं नियमितता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, जो अपास्त किए जाने योग्य है एवं निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

21. अतः निगरानीकर्तागण ओम विष्णु की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी एतद्द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व वाद सं० 15/2018 ओम विष्णु बनाम मैसर्स रतिका ग्रामोद्योग अन्तर्गत धारा 133 दं.प्र.सं. में पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 को अपास्त किया जाता है तथा मामला पुनः विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पूर्व के आदेश के पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना पुनः उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए सभी आज्ञापक विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जांच साक्ष्य इत्यादि लेते हुए धारा 133 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2,
हनुमानगढ़

22. आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2,
हनुमानगढ़

SURENDER KUMAR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by SURENDER KUMAR
Date: 2026.07.02 11:50:36 +0530